कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः– 15(2) दिनांकः– 4.11.19

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 1.11.2019 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में सौंग बांध पेयजल परियोजना के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावसमिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **55.8638 हैक्टेयर** भूमि वन विभाग से सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति– देहरादून एवं डोईवाला द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी–देहरादून एवं डोईवाला की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **55.8638 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी–देहरादून एवं डोईवाला की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

( )	( )	( )
जिला समाज कल्याण अधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी, देहरादून
देहरादून	देहरादून वन प्रभाग	

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून

जिलाधिकारी देहरादून।

पृ0स0 /डी0एल0आर0सी0/ दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना पुर्नवासखण्ड ऋषिकेश।

( )

जिलाधिकारी, देहरादून

जिलाधिकारी देहरादून।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravi shankar, I.A.S. District Magistrate on Dated 1.11.19. at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **55.8638 Hect** for the Construction of Song dam drinking water project of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Dehradun & Doiwala** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

District Magistrate
District level Committee

जिलाधिकारी
देहरादून

FORM –II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

No. 24 Dated. 25.6.2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006 ('FRA', for short) on the Notified forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **55.8638** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Irrigation Department Uttarakhand** for **Song dam drinking water project** in **Dehradun** district falls within jurisdiction of Village Theva, Rainiwala, Khairi maan singh, Pustadi, Kulhan maan singh, Marotha and Plaid in **Dehradun and Doiwala Tehsils**.

It is further certified that:

(a) The Complete Process for Identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **55.8638** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha (s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.........

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the gram sabha of ...... villages(s) is enclosed as annexure............ to annexure..........

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

COLLECTOR जिलाधिकारी देहरादून DEHRADUN

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No........15(1) Dated.........4.11.19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **55.8638** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Irrigation department **Uttarakhand** for Song dam drinking water project in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Theva, Rainiwala, Khairi maan singh, Pustadi, Kulhan maan singh, Marotha & Plaid** Village in **Dehradun & Doiwala Tehsils.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **55.8638** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– **<u>सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>**

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून में सौंग बांध पेयजल परियोजना के नवनिर्माण हेतु **55.8638 है0** वनभूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

ह0.............................
जिलाधिकारी, देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, – देहरादून (सदर–रायपुर)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून (सदर)

उपखण्ड देहरादून (सदर) परिक्षेत्र के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है० जिसमें से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 12.5060 है०, सिविल सोयम भूमि 1.0770 है०, जलमग्न भूमि 2.900 है० एवं वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात कुल 16.4830 है० वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–देहरादून) की दिनांक 13-6-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री — कमलेश मेहता .... उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री कमलेश मेहता .... उपजिलाधिकारी .... सदर, देहरादून .... अध्यक्ष परगना मजिस्ट्रेट (सदर) देहरादून

2 श्री के०के० ....उप प्रभागीय वनाधिकारी .... 13-6-2019 .... सदस्य

3 श्री दीपांकर .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... देहरादून .... सदस्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी देहरादून शहर

4 श्री सुरेश चन्द्र .... बी०डी०सी० क्षेत्र .... क्षेत्र मालदेवता .... सदस्य

5 श्री .... प्रभा पवार, बी०डी०सी० क्षेत्र द्रोण द्वारा .... सदस्य प्रभा पंवार B.D.C द्रोणद्वार

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है० जिसमें से उपखण्ड देहरादून (सदर) परिक्षेत्र के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 12.5060 है०, सिविल सोयम भूमि 1.0770 है०, जलमग्न भूमि 2.900 है० एवं वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात कुल 16.4830 है० वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सुरेश चन्द

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है0 जिसमें से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 12.5060 है0, सिविल सोयम भूमि 1.0770 है0, जलमग्न भूमि 2.900 है0 एवं वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल 16.4830 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद– देहरादून

<u>प्रतिलिपिः–</u> जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद– देहरादून

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– <u>सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>

कार्यालय उप जिलाधिकारी, –डोईवाला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, डोईवाला

उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है0 जिसमें से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 29.4638 है0, सिविल सोयम भूमि 7.5460 है0, जलमग्न भूमि 2.3710 है0 एवं वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल 39.3808 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील– डोईवाला) की दिनांक 10/6/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...... लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी डोईवाला अध्यक्ष
2 श्री ... उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग ... सदस्य 10-6-2019
3 श्री महेश प्रताप सिंह ...सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव
(महेश प्रताप सिंह) सहायक समाज कल्याण अधिकारी देहरादून
4 श्री ... बी0डी0सी0 क्षेत्र तलाई, विकासखण्ड ... सदस्य
5 श्री ...

सदस्य क्षेत्र पंचायत तलाई ... विकास खण्ड रायपुर देहरादून

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है0 जिसमें से उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 29.4638 है0, सिविल सोयम भूमि 7.5460 है0, जलमग्न भूमि 2.3710 है0 एवं वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल 39.3808 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है0 जिसमें से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 29.4638 है0, सिविल सोयम भूमि 7.5460 है0, जलमग्न भूमि 2.3710 है0 एवं वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल 39.3808 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

10/6/19

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डोईवाला,
जनपद– देहरादून

उप जिलाधिकारी
डोईवाला

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/6/19

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डोईवाला,
जनपद– देहरादून

उप जिलाधिकारी
डोईवाला

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

पार्षद क्षेत्र का नाम – कुल्हान मानसिंह एवं मरोठा

तहसील– देहरादून, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 85.6353 है0, सिविल सोयम भूमि 27.0073 है0, वन पंचायत भूमि 2.8130 है, जलमग्न भूमि 12.2156 है0, एवं नाप भूमि 10.6410 है0) अर्थात कुल 138.3122 है0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से कुल 127.6712 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में पार्षद क्षेत्र **कुल्हान मान सिंह एवं मरोठा** द्वारा दिनांक 6/3/19 को सम्पन्न क्षेत्रवसियों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि **(सिविल सोयम भूमि कुल्हान मानसिंह 0.4400 है0 एवं मरोठा 0.1610 है0) अर्थात कुल 0.6010 है0** के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हेतु है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है; इसके अतिरिक्त परियोजना के निमाण हेतु आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त पार्षद क्षेत्र कुल्हान मानसिंह एवं मरोठा के क्षेत्रवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्षद क्षेत्र कुल्हान मानसिंह एवं मरोठा के वासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

अनापत्ति इस प्रतिबंध के साथ निर्गत की जाती है कि मेरे वार्ड नं. 59 गुजराड़ा मानसिंह के सम्पूर्ण क्षेत्र जो निम्न प्रकार है मरोठा, आलंग, नागल हटनाला, किरसाली कुल्हान तरला नागल भालगांव, गुजराड़ा, डांडा नूरीवाला के सम्पूर्ण मोहल्लों में दैनिक रूप से पाईप लाईन डालकर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तब अनापत्ति तभी लागू होगी।

Shivani

पार्षद 6/3/19

पार्षद

वार्ड सं0 59, गुजराड़ा मानसिंह
नगर निगम देहरादून
उत्तराखण्ड

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 6/2/19 को पार्षद क्षेत्र कुलहान मानसिंह की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

पार्षद क्षेत्र का नाम– कुलहान मानसिंह एवं मरोठा

क्रमांक	सभा में उपस्थित वरिष्ठ क्षेत्रवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमोद बसल डांडा खुदानेवाला	प्रमोद बहल
2	अमित फरासी गुजराड़ा	Amit
3	Sudvir Thakur Kirsali	[signature]
4	Ram Lal Thakur Nagal Sowndh Gaon	[signature]
5	Ashish Kumar Semwal	Semwal
6	प्रसन्न सिंह	प्रसन्न
7	परमानन्द [illegible] ग्राम चालंग	परमानन्द
8	ओम प्रकाश [illegible] चौहान खारसी	चालांग
9	सिकन्दर सिंह गाँव खारसी	चालंग 7500636381
10	संजीत बसल डांडा खुदानेवाला	[signature] 7351907341
11	अभिषेक रावत नागल मरोठा	Abhishek 9012325315
12	[illegible] डांडा खुदानेवाला	[signature]
13	ईश्वर सिंह किरसाली	[signature]
14	संदीप भरवलोगा तरला नागल	[signature] 9837854755
15	अनुज मखलोगा तरला नागल	[signature] 9690833002
16	अनूप उनियाल गुजराड़ा	Anoop Uniyal
17	विकास मैठवाल डांडा खुदानेवाला	Vikas
18	अरुण भरवलोगा तरला नागल	Arun
19	अनिल ठाकुर किरसाली	Anil
20	महिपाल चौहान कुल्हान	महिपाल

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– <u>सौंग बांध पेयजल परियोजना वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– लडवाकोट/प्लेड

तहसील– देहरादून, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 85.6353 है0, सिविल सोयम भूमि 27.0073 है0, वन पंचायत भूमि 2.8130 है, जलमग्न भूमि 12.2156 है0, एवं नाप भूमि 10.6410 है0) अर्थात कुल 138.3122 है0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से कुल 127.6712 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत प्लेड द्वारा दिनांक 07/03/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि **(सिविल सोयम भूमि 7.5460 है0 एवं जलमग्न भूमि 2.3710 है0) अर्थात कुल 9.9170 है0** के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हेतु है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम प्लेड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

सेवामें, अधीक्षण अभियन्ता महोदय
निवेदन है कि ग्रामवासियों द्वारा
अनापत्ति पत्र इस आशय से दिया
जा रहा है ताकि हमारी पृष्ठ सं0 ②
पृष्ठ सं0 ③ पर लिखित आयज मांगे पूरी की
जायेगी।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत–लडवाकोट
ह0 [signature]
दि0
विकास रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र–23.1

दिनांक –07/03/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– प्लेड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजपाल सिंह मनवाल लडवाकोट	Rajpal
2	प्रमोद सिंह नेगी	P.Negi
3	जयप्रकाश तिवाड़ी	JayPrakash
4	राय सिंह मनवाल	Rai Singh
5	प्रेम सिंह मनवाल	प्रेमसिंह
6	पुरण सिंह मनवाल	पूरण सिंह
7	वीरसिंह राणा	वीरसिंह राणा
8	सुरेन्दर सिंह	सुरेन्द्र सिंह
9	नारायण सिंह	नारायण सिंह
10	ओम प्रकाश तिवाड़ी	ओम प्रकाश
11	रविन्दर प्रसाद तिवाड़ी	रविन्द्र प्रसाद
12	सतेन्द्र प्रसाद तिवाड़ी	सतेन्द्र प्रसाद तिवाड़ी
13	शुरवीर सिंह राणा	सूरवीर सिंह
14	विनोद तिवाड़ी	विनोद तिवाड़ी
15		
16		
17		
18		
19		
20		

प्रधान ग्राम पंचायत–लडवाकोट
ह0 [signature]
दि0..........
विकास खण्ड रायपुर देहरादून (उत्तराखण्ड)

ग्राम पंचायत लडवाकोट

विकास खण्ड रायपुर जिल–देहरादून (उत्तराखण्ड)

श्रीमती ज्ञान देई मनवाल
(ग्राम प्रधान)

निवासः–
ग्राम–लडवाकोट
पो. हल्द्वाड़ी वाया भोगपुर
जिला- देहरादून(उत्तराखण्ड)
सम्पर्क सूत्रः-9675045195,7351267255

ग्राम- प्लेड

पत्रांक मैमो/19 दिनांक 29/04/2019

सेवामें,
अधिक्षण अभियन्ता महोदय
सिंचाई कार्य (पुर्नवास) मण्डल
26 ई. सी. रोड देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय:- सौंग बांध पेयजल परियोजना निर्माण हेतु वन अधिकार अधि नियम 2006 के अर्न्तगत ग्राम पचांयत लडवाकोट व ग्राम प्लेड के ग्रामवासियों द्वारा अनापत्ती पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि ग्राम पचांयत लडवाकोट व ग्राम प्लेड के ग्रामवासियों द्वारा अनापत्ति पत्र इस आशय से प्रेषित किया जाता है ताकि बांध कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व बांध प्रभावित परिवारों एव ग्रामवासियों की निम्न लिखित मांगें पूरी की जायेगी।

1. अखड़वानी मिलंग (द्वारा) से प्लेड, व लडवाकोट होते हुये गन्धक पानी तक पूर्व में स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण अविलम्ब शुरू किया जायेगा
2. बांध प्रभावित परिवारो को जमीन के बदलें जमीन व मकान के बदले मकान दिया जायेगा।
3. बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों एवं ग्रामवासियों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा।
4. बांध परियोजना से प्रभावित वह परिवार जो कि तीन-चार पिढ़ियों से जमीन में काश्त कर रहें हैं लेकिन किसी कारण वस वह जमीन उनके नाम नहीं है। उनको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिये।
5. बांध परियोजना के निर्माण के पश्चात झील में व्यवसायिक हेतु बांध प्रभावित परिवारों एवं ग्राम प्लेड के बेरोजगारों परिवारो को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. बांध परियोजना से प्रभावित ग्राम प्लेड में बारात घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मन्दिर निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जायेगा।

शेष अगले पृष्ठ पर

प्रधान ग्राम पंचायत–लडवाकोट
ह0 ज्ञानदेई
दि0........
विकास रायपुर देहरादून (उत्तराखण्ड)

ग्राम पंचायत लडवाकोट

विकास खण्ड रायपुर जिल–देहरादून (उत्तराखण्ड)

निवासः–
ग्राम–लडवाकोट
पो. हल्द्वाड़ी वाया भोगपुर
जिला- देहरादून(उत्तराखण्ड)
सम्पर्क सूत्रः-9675045195,7351267255

श्रीमती ज्ञान देई मनवाल
(ग्राम प्रधान)

ग्राम - ल्वेड

पत्रांक मैमो/19

दिनांक 29/04/2019

(7) महोदय, प्रस्तावित सौंग बांध के टाप लेवल RL-983 तक प्रस्तावित सड़क से ल्वेडगांव के बाँध के नजदीक परिवारों को सड़क दी जाए ताकि बांध से होने वाली व्यवसायिक से लाभान्वित हो सकें।

(8) प्रस्तावित बांध के सबसे नजदीक व डूब क्षेत्र में ल्वेडगाँव है। इस क्षेत्र में भूस्खलन भूमि धसाव का खतरा होने पर बचाव हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए।

(9) ल्वेड गांव में पेयजल की बड़ी किल्लत है। ग्रामवासियों को पम्पिंग व्यवस्था द्वारा बांध से पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

(10) बांध कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि क्षेत्र में किसी भी परिवार की भूमि धसाव व कृषि भूमि को नुकसान होता है तो उन परिवारों को भी भूमि के बदले भूमि देने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए।

महोदय इसी अपेक्षा के ग्रामवासियों द्वारा अनापत्ति पत्र सेवा में प्रेषित किया जाता है।

भवदीया

प्रधान ग्राम पंचायत–लडवाकोट
ह0 ज्ञान देई
दि0........
विकास रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– थेवा

तहसील– देहरादून, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 85.6353 है0, सिविल सोयम भूमि 27.0073 है0, वन पंचायत भूमि 2.8130 है, जलमग्न भूमि 12.2156 है0, एवं नाप भूमि 10.6410 है0) अर्थात कुल 138.3122 है0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से कुल 127.6712 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थेवा द्वारा दिनांक 10-02-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पाइप लाइन हेतु आवेदित वन भूमि **(सिविल सोयम भूमि 0.0560 है0) अर्थात कुल 0.0560 है0** के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हेतु है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थेवा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10-02-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– थेवा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जितेन्द्र पुण्डीर S/o दौलत सिंह	[illegible]
2	श्री सतीश चौहान S/o मंगल सिंह	Satish
3	श्री सन्दीप पवार S/o स्व० बुद्ध सिंह	Sandeep
4	श्री विकास क्षेत्रीय S/o श्री वीरेन्द्र सिंह	Vikash Singh
5	श्री मंगल सिंह S/o श्री बख्तावर सिंह	[illegible]
6	श्री वीरेन्द्र सिंह श्री केहर सिंह	वीरेन्द्र सिंह
7	श्री वीर सिंह S/o श्री कृपाल सिंह	[illegible]
8	श्री मनोज S/o श्री गजेन्द्र सिंह	Manoj Panwar
9	श्री राजेन्द्र S/o श्री दौलत सिंह	Rajendra
10	श्री शीशपाल S/o श्री कुन्दन सिंह	Shishpal
11	श्री प्रवीन मनवाल श्री स्व० कुन्दन सिंह	प्रवीन
12	श्री राकेश रमोला श्री स्व० लाल सिंह	Rakesh
13	श्रीमति कुसुम श्री वीरेन्द्र सिंह	कुसुम
14	श्रीमति कविता श्री कुलम सिंह	कविता
15	श्री नीरज श्री स्व० गोविन्द सिंह	नीरज
16		
17		
18		
19		
20		

विकास सिंह

विकास खण्ड रायपुर देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल
जनपद टिहरी गढवाल

पत्रांकः– 156/ALC-II दिनांकः– 16-11-19

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 16/11/2019 को जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में सौंग बांध पेयजल परियोजना के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **71.8074 हैक्टेयर** भूमि वन विभाग से सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति– धनोल्टी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी–धनोल्टी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **71.8074 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के थानो रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी – धनोल्टी कीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

( ) ( ) ( )
जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल मसूरी वन प्रभाग, मसूरी। टिहरी गढवाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढवाल
प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
जिलाधिकारी टिहरी गढवाल

पृ0स0 /डी0एल0आर0सी0/ दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना पुर्नवासखण्ड ऋषिकेश।

( )
जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल
जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Tehri Garhwal District – Tehri Garhwal constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. V. Shanmugam I.A.S. District Magistrate on Dated 16/11/14 at 11 AM at Tehri garhwal in which the application claiming rights in Maiharea measuring **71.8074 Hect** for the Construction of **Song dam drinking water project** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Dhanolti** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to bave been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड
ऋषिकेश

District Magistrate
District level Committee
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

FORM –II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 678/XXVI-ALCI 2019-2020 Dated 4-6-2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006 ('FRA', for short) on the Notified forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **71.8074** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Irrigation Department Uttarakhand** for **Song dam drinking water project** in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of Gudsal village, Saundana village, Rangargaon village, Bharva Katal, Shreepur village in **Dhanolti Tehsils**.

It is further certified that:

(a) The Complete Process for Identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **71.8074** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha (s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.........

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the gram sabha of ...... villages(s) is enclosed as annexure............ to annexure..........

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

EE
Infrastructure (Rehab) Div
Rishikesh.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

टिहरी गढ़वाल।

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No.........   Dated.........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **71.8074** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Irrigation Department Uttarakhand** for Song dam drinking water project in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of Gudsal village, Saundana village, Rangar village, Bharva katal, Shreepur, Village in **Dhanolti Tehsils.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **71.8074** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
टिहरी गढवाल

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढवाल में सौंग बांध पेयजल परियोजना के नवनिर्माण हेतु **71.8074 है0** वनभूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

ह0........................

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, –धनोल्टी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, धनोल्टी

उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है0 जिसमें से उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 43.6655 है0, सिविल सोयम भूमि 18.3843 है0, जलमग्न भूमि 6.9446 है0 एवं वन पंचायत भूमि 2.8130 है0 अर्थात कुल 71.8074 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील– धनोल्टी) की दिनांक 21/06/19..... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2003 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रजा अब्बास, उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री रजा अब्बास उपजिलाधिकारी धनोल्टी .... अध्यक्ष
2 श्री के० पी० वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, सदस्य
3 श्री मनोज कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी मसूरी/जौनपुर सदस्य / सचिव
4 श्रीमती भगनी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र रिंगालगढ़ .... सदस्य
5. श्रीमती लीला देवी बी० डी० सी० क्षेत्र बनाली (वनपंचा) .... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है0 जिसमें से उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 43.6655 है0, सिविल सोयम भूमि 18.3843 है0, जलमग्न भूमि 6.9446 है0 एवं वन पंचायत भूमि 2.8130 है0 अर्थात कुल 71.8074 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

(लीला देवी मनवाल)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत बनाली
वि०ख०जौनपुर टि०ग०(उत्तराखण्ड)

भगनी देवी
सदस्य क्षेत्र पं० रिंगालगढ़
वि०ख०–जौनपुर टि०ग०

उप जिलाधिकारी
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून

ASWO

P.T.O

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु कुल वनभूमि 127.6712 है0 जिसमें से उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्र्तगत आरक्षित वन भूमि 43.6655 है0, सिविल सोयम भूमि 18.3843 है0, जलमग्न भूमि 6.9446 है0 एवं वन पंचायत भूमि 2.8130 है0 अर्थात कुल 71.8074 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– धनोल्टी
जनपद– टिहरी गढवाल

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– धनोल्टी,
जनपद– टिहरी गढवाल

सीमा देवी
(सीमा देवी मनवाल)
'सदस्य'
क्षेत्र पंचायत बनाली
वि0ख0 थत्यूड़, टि0ग0(उत्तराखण्ड)

मगनी देवी
मगनी देवी
सदस्य क्षेत्र पं0 रिंगालगढ़
वि0ख0–जौनपुर टि0ग0

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– <u>सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम – घुडसाल गांव

तहसील– धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 85.6353 है0, सिविल सोयम भूमि 27.0073 है0, वन पंचायत भूमि 2.8130 है, जलमग्न भूमि 12.2156 है0, एवं नाप भूमि 10.6410 है0) अर्थात कुल 138.3122 है0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से कुल 127.6712 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **घुडसाल गांव** द्वारा दिनांक 08/03/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि (**सिविल सोयम भूमि 12.5851 है0 एवं जलमग्न भूमि 5.6016 है0) अर्थात कुल 18.1867 है0** के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हेतु है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घुडसाल गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत घुडसाल गांव
विकास खण्ड थौलधार (टि0 ग0)

ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत घुडसाल गांव
ह0 जयसिंह
दि0
थौलधार चम्बा (टिहरी गढ़वाल)

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 08/03/17 की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– घुडसाल गांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चमनसिंह	चमनसिंह
2	धूमसिंह	धूमसिंह
3	बुद्धिसिंह	बुद्धिसिंह
4	कमलसिंह	कमलसिंह
5	घनश्यामसिंह	घनश्यामसिंह
6	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
7	दिनेश	दिनेश
8	राजेन्द्रसिंह	राजेन्द्र सिंह
9	जयरामसिंह	जयरामसिंह
10	दर्शन	दर्शन
11	सरोज	सरोज
12	सोहनसिंह	सोहन सिंह
13	रमेशसिंह	रमेशसिंह
14	मगतसिंह	मगतसिंह
15	जसवन्तसिंह	जसवन्तसिंह
16	रविन्द्रसिंह	रविन्द्रसिंह
17	सीमादेवी	सीमा
18	प्रवीन सिंह कण्डारी	प्रवीन कण्डारी
19	विक्रमसिंह कण्डारी	विक्रमसिंह कण्डारी
20	बलवीर सिंह कण्डारी	BALBIR SINGH
21	जयसिंह कण्डारी	Jai Singh Kandari

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– रांगड गांव

तहसील– धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 85.6353 है0, सिविल सोयम भूमि 27.0073 है0, वन पंचायत भूमि 2.8130 है, जलमग्न भूमि 12.2156 है0, एवं नाप भूमि 10.6410 है0) अर्थात कुल 138.3122 है0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से कुल 127.6712 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **रांगड गाव** द्वारा दिनांक 07/03/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रांगड गांव की आवेदित वन भूमि **(सिविल सोयम वन भूमि 4.5472 एवं जलमग्न भूमि 0.6442 है0) अर्थात कुल 5.1914** है0 है, के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हेतु है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रांगड गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 07/03/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– रांगड गांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शेर सिंह जी पूर्व प्रधान	शेरसिंह
2	सरला कोठारी पूर्व प्रधान	[illegible]
3	श्री प्रेमसिंह	प्रेमसिंह
4	श्री भरत सिंह जी प्रधान	भरतसिंह
5	" – राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
6	" – विरेन्द्रसिंह	वीरेन्द्र सिंह
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ग्राम पंचायत भरवाकाटल

विकास खण्ड जौनपुर तहसील धनोल्टी जिला- टिहरी गढ़वाल(उत्तराखण्ड)

निवास:-
ग्राम व पो.कुमाल्डा वाया रायपुर
पट्टी-सकलाना
जिला- टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
८२१८०२९१५१ मो. ~~9917456651~~

जगदीश दास
(ग्राम प्रधान)

ग्राम - क्रीफ्ट ऐव भरवाकाटल.

पत्रांक ~~......~~ मेमो

दिनांक 09-03-19

'अनापत्ति प्रमाण पत्र'

सौंग बान्ध पेयजल परियोजना हेतु वन एवम् राजस्व भूमि हस्तान्तरण !-

देहरादून शहर की पेयजल योजना कि पूर्ती के लिए अरोक्त पेयजल योजना का निमार्ण कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड ऋषिकेश के सहायक अभियन्ता के द्वारा उपलब्ध कराये कार्य प्रपत्र अनापत्ति विषयक के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की एक आकस्मिक बैठक में उक्त विषयक चर्चा की गई।

बैठक में शहर की जलापूर्ती के कार्य में ग्राम पंचायत की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई, एवम् ग्राम पंचायत के अन्तर्गत विभाग द्वारा पाईप लाईन डालने में प्रयुक्त भूमि - वन भूमि व राजस्व भूमि के उपयोग में सौंग नदी के बहाव क्षेत्र के निकट भूमि जो उपयोग में लाई जानी प्रस्तावित है के उपयोग को ग्राम पंचायत अपनी सहमति (अनापत्ति) जारी करती हैं, साथ ही यह अपेक्षा करती है कि नदी के बहाव क्षेत्र में सुरक्षा कार्य करके पेयजल योजना के साथ-२ ग्रामीणों के निवास एवम् कृषी उपज की भूमि की सुरक्षा का भी प्रावधान योजना निमार्ण में सम्मिलित किया जायेगा

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत भरवाकाटल, वि० ख० जौनपुर टिहरी गढ़वाल) (हस्ताक्षर)

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 09.03.19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– भरवा काटल एवं श्रीपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम		हस्ताक्षर
1	श्री हरि कृष्ण उनियाल	भरवाकाटल	हरि कृष्ण उनियाल
2	श्री इन्दर सिंह पवार	भरवाकाटल	इन्दर सिंह पंवार
3	श्री जय कृष्ण उनियाल	भरवाकाटल	
4	श्री सत्य प्रकाश उनियाल	भरवाकाटल	
5	श्री सोना मिस्त्री	भरवाकाटल	
6	श्री सोहन दास	कुमाल्डा	सोहन दास
7	श्री त्रिलोकी रतन सकलानी ठाकुर		
8	श्री भगवान सिंह पंवार	कुमाल्डा	
9	श्री चन्दन सिंह पवार	कुमाल्डा	चन्दनसिंह
10	श्री घुमरीदास	कुमाल्डा	
11	श्री बनवारी लाल	भरवाकाटल	बनवारीलाल
12	श्री प्रेमदास	भरवाकाटल	प्रेमदास
13	श्री प्रकाश सिंह पवार	भरवाकाटल	
14	श्री लालीराम	भ० का०	लालीराम
15	श्री बचनदास	कुमाल्डा	बचन दास
16	श्री जय सिंह	कुमाल्डा	जय सिंह
17	श्री राजेन्द्र सिंह	कुमाल्डा	
18	श्री तुलसी सिंह रावत	कुमाल्डा	तुलसीसिंह
19	श्री दिनेश चन्द शर्मा	कुमाल्डा	
20	श्री रमेश सकलानी	कुमाल्डा	
21	श्री सुदामा प्रसाद उनियाल	कुमाल्डा	सुदामाप्रसाद उनियाल
22	श्री गोविन्द प्रसाद	कुमाल्डा	गोविन्द प्रसाद
23	श्री राजेन्द्र सिंह म्हर	भरवाकाटल	राजेन्द्र सिंह
24	श्री प्रेम सिंह नेगी	ल्वार्खा	
25	श्री रणजीत सिंह	मरोड़	
26	श्रीमति [illegible] देवी	भरवाकाटल	
27	श्रीमति ममता देवी		ममता देवी
28	श्री जगदीश दास		

ग्राम पंचायत भरवाकाटल प्रधान जौनपुर टिहरी

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– <u>सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– भरवा काटल एवं श्रीपुर

तहसील– धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 85.6353 है0, सिविल सोयम भूमि 27.0073 है0, वन पंचायत भूमि 2.8130 है, जलमग्न भूमि 12.2156 है0, एवं नाप भूमि 10.6410 है0) अर्थात कुल 138.3122 है0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें से कुल 127.6712 वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भरवा काटल एवं श्रीपुर द्वारा दिनांक .... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पाइप लाइन हेतु आवेदित वन भूमि **(सिविल सोयम भूमि भरवा काटल – 0.2460 है0, श्रीपुर – 0.3460 एवं जलमग्न भूमि भरवा काटल – 0.2580, श्रीपुर – 0.0870 है0) अर्थात कुल 0.9370 है0** के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हेतु है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भरवा काटल एवं श्रीपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड को सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत भरवाकाटल

विकास खण्ड जौनपुर तहसील धनोल्टी जिला- टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जगदीश दास
(ग्राम प्रधान)

निवास:-
ग्राम व पो.कुमाल्डा वाया रायपुर
पट्टी-सकलाना
जिला- टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
मो० 8218029959 ~~मो. 9917456651~~

पत्रांक...79 ग्रा०पं०...... दिनांक 09.03.19

सेवामें
अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना (पुर्नवास)
सिंचाई विभाग खण्ड ऋषिकेश देहरादून.

विषय:- सौंग बान्ध पेयजल परियोजना के निर्माण में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि के उपयोग में ग्राम पंचायत की ओर से अनुरोध किये गये कार्यों को सम्मिलित करने विषयक

महोदय,
आपके अधीन उपरोक्त योजना के निर्माण में ग्राम पंचायत की वन भूमि / राजस्व भूमि का उपयोग करने हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति का प्रस्ताव की अपेक्षा की गई है.

उक्त योजना निर्माण में विभाग द्वारा ~~[illegible]~~ पाईप लाईन को सौंग नदी से देहरादून क्षेत्र से टिहरी क्षेत्र में प्रवेश किया जायेगा. नदी को क्रास करने के लिए आपके द्वारा पीलरों से पाईपो को आर-पार किया जायेगा हमारा सुझाव एवं अनुरोध है कि इस प्रयोजन में एक पगडण्डी का निर्माण पाईपों के समानान्तर किया जाये जिससे ग्रामीणों की आवाजाही के साथ स्कूली बच्चों की आवाजाही निर्बाध रूप से की जा सके. चूंकि स्कूली बच्चे बरसात में नदी के उफान में स्कूल नहीं आ-जा पाते है. इससे विभाग के कर्मचारियों के आवागमन एवं अनुरक्षण निर्माण में सुविधा रहेगी, यह प्रक्रिया टिहरी से देहरादून को वापसी में भी उपयोगी साबित होगी.

अपेक्षा है ग्रामीणो की सदइच्छा को सम्मान मिलेगा- सादर

प्रधान-

ग्राम पंचायत भरवाकाटल जौनपुर टिहरी गढ़वाल (मुहर)